रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072026-273989
CG-DL-E-02072026-273989

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490] **नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948**
No. 490] **NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948**

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 548(अ).— 'विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी – जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ड), और धारा 23 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी – जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) – मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता भुगतान की रीति नियम 2026 नामक कतिपय नियम का प्रारूप, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि...... (अ) 402 तारीख 22 मई, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की अवसान से पूर्व अक्षेप व सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

और उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियाँ 22 मई, 2026 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।

अत:, अब केंद्रीय सरकार, विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी – जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम 2025 की धारा 33 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ड), तथा धारा 23 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी – जी राम जी (विकसित भारत – जी राम जी), मज़दूरी और बेरोज़गारी भत्ता भुगतान की रीति नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ– (1) इस नियम में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी – जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और इसमें परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. मज़दूरी और बेरोज़गारी भत्ते के भुगतान की रीति - (1) मज़दूरी और बेरोज़गारी भत्ते का सारा भुगतान 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक या पोस्ट ऑफ़िस खाते में किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट भुगतान कैशलेस रीति से किए जाएंगे और नकद भुगतान की अनुमति नहीं होगी:

परंतु केंद्रीय सरकार असाधारण परिस्थितियों में, आदेश द्वारा, इस नियम के उपबंधों से छूट दे सकती है।

(3) मज़दूरी का सारा भुगतान केंद्रीय सरकार द्वारा तय (केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम) के अधीन फंड-फ़्लो सिस्टम के अनुसार किया जाएगा।

(4) बेरोजगारी भत्ते का सारा भुगतान संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा तय किए गए विद्यमान फंड-फ्लो सिस्टम के अनुसार किया जाएगा।

(5) सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कीम के तय प्रबंध सूचना प्रणाली या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाएंगे।

(6) काम में कुशलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भुगतान आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम या आधार पर आधारित या किसी अन्य वैकल्पिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम के माध्यम से किए जाएंगे, जो उस समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार हों।

(7) संदाय आदेश की गणना, उन्हें बनाना और उनकी प्रक्रिया डिजिटल प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

(8) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे सभी भुगतानों को निर्धारित प्रबंध सूचना प्रणाली में सम्यक रूप से दर्ज किया जाए।

(9) इस नियम में अंतर्दिष्ट किसी भी बात के होते हुए, केंद्रीय सरकार असाधारण परिस्थितियों में, आदेश द्वारा, इस नियम के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है या उसमे छूट दे सकती है।

[फा. सं. जे-11060/45/2026/आर ई-VI]

रोहिणी रा भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

G.S.R. 548(E).— Whereas the draft of certain rules to be called the Viksit Bharat- Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (GRAMIN): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी), manner of Payment of Wages and Unemployment Allowance Rules, 2026 were published, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (m) of sub-section (2) of section 33, and sub-section (4) of section 23 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) number G.S.R. 402 (E) dated the 22nd May, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on 22nd May, 2026;

And whereas objections or suggestions received on the said draft rules have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (m) of sub-section (2) of section 33, and sub-section (4) of section 23 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Viksit Bharat- Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (GRAMIN): VB – G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी), manner of Payment of Wages and Unemployment Allowance Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– (1) In this rule, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (GRAMIN): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025);

(b) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Manner of payment of wages and unemployment allowance. -** (1) All payments of wages and unemployment allowance shall be made through Direct Benefit Transfer directly into the bank or post office account of the beneficiary.

(2) The payments referred to in sub-rule (1) shall be made in a cashless manner, and no payment in cash shall be permitted:

Provided that the Central Government may in extraordinary circumstances, by order, exempt from the provisions of this rule.

(3) All wage payments shall be made in conformity with the extant fund-flow mechanism under the Centrally Sponsored Scheme framework, as determined by the Central Government.

(4) All payments towards unemployment allowances shall be made by the respective State Government or Union territory Administration in conformity with the extant fund-flow mechanism, as determined by the Central Government.

(5) All payments shall be processed electronically through the designated Management Information System of the Scheme or such other digital platform as may be determined by the Central Government from time to time.

(6) For the purpose of ensuring efficiency and transparency, payments shall be effected through the Aadhaar Payment Bridge System or such other Aadhaar-based or alternative authentication mechanisms, in accordance with the provisions of any other law for the time being in force.

(7) The calculation, generation and processing of payment orders shall be carried out through digital systems.

(8) The State Government shall ensure that all such payments are duly recorded in the designated Management Information System.

(9) Notwithstanding anything contained in this rule, the Central Government may, in extraordinary circumstances, by order, relax or exempt any provision of this rule.

[F. No. J-11060/45/2026/RE-VI**]**

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.02 00:59:44 +05'30'